VPSEC/R/P/20/00072

अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/38/2020-21

22 अक्तूबर, 2020

सेवा में,

श्री पी. के. पाण्डेय
अनु सचिव एवं जनसूचना अधिकारी,
मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
मुख्य सचिव कार्यालय, लखनऊ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

श्री अनुराग यादव पुत्र श्री फुलचंद यादव निवासी ग्राम देवरिया खालसा, पो. सठियाँव, तहसील सदर थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश का 09.10.2020 का पत्र इस सचिवालय में 16.10.2020 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने दस रूपये का पो.आ. सं. 42F 046893 संलग्न कर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 28.08.2020 को प्रेषित अपने पत्र जोकि इस सचिवालय में 04.09.2020 को प्राप्त हुआ था तथा जिसे 07.09.2020 को श्रीयुत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश को उचित कार्रवाई/ध्यानाकर्षण हेतु अग्रसारित कर दिया गया था (प्रति संलग्न है), पर की गई कार्रवाई की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया है। चूंकि इनके द्वारा मांगी गई सूचना की विषय-वस्तु उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, अत: इनका आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। कृपया आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय-वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो कृपया इसे उस सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें जिसके यह निकट से संबंधित हो।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री अनुराग यादव पुत्र श्री फुलचंद यादव निवासी ग्राम देवरिया खालसा, पो. सठियाँव, तहसील सदर थाना मुबारकपुर, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश - कृपया अधिक जानकारी हेतु उपरोक्त जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें।

हुरबी शकील

(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

RTI No. 38

सेवा में,

श्रीमान् जनसूचना अधिकारी / महामहीम उपराष्ट्रपति महोदय
भारत सरकार नई दिल्ली

Vice President's Secretariat New Delhi 17 16/10/20

CS.VP

विषय :– प्रार्थी द्वारा जनसूचनाधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(जे)3 के तहत दिनांक 28.08.2020के तहत दिये गये प्रार्थना पत्र के कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रार्थी निम्नलिखित सूचना चाहता है:–

महोदय,

1. क्या प्रार्थी द्वारा दिनांक 28.08.2020 को श्रीमान् के यहॉ प्रार्थी द्वारा डाक रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें आप श्रीमान् द्वारा अब तक कोई कानूनी कार्यवाही की गयी की नहीं?
2. क्या दिनांक 28.08.2020 के प्रार्थना पत्र पर श्रीमान् द्वारा प्रधान पति, प्रधान व सेक्रेटरी तथा बीडियो के खिलाफ सरकारी धन के दुरूपयोग के सम्बन्ध में किस अधिकारी द्वारा जॉच की गई।
3. क्या दिनांक 28.08.2020 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में किस अधिकारी को जॉच हेतू नियुक्त किया गया है।
4. क्या दिनांक 28.08.2020 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में अगर जॉच की गई तो उसमें शामिल प्रधान पति, प्रधान, सेक्रेटरी, बीडीयो को सरकारी धन में घोटाले में दोषी पाया गया की नहीं?
5. क्या दिनांक 28.08.2020 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रधान पति, प्रधान, सेक्रेटरी एवं बीडीयो के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्यवाही की गयी की नहीं?

प्रार्थना

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी को निम्नलिखित सूचनाओं से समयावधी के अन्दर अवगत कराने की कृपा करें।

दिनांक :– 9/10/2020

शुल्क 10 रू0 पोस्टल आर्डर सं0

42F 046893

प्रार्थी :–

अनुराग यादव पुत्र श्री फुलचन्द यादव
ग्राम–देवरिया खालसा, पो0–सठियॉव,
तहसील–सदर, थाना–मुबारकपुर,
जिला–आजमगढ़ (उ0प्र0)
मो0नं0–9125162033

अनुराग यादव